



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 11, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 848/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी०नियम-2017-आदेश(199)-2021
लखनऊ, 2 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-304

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2021 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियमावली 1 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-

(एक) नियम 26 के, उपनियम (1) में, चौथे परंतुक में, तारीख "31 मई, 2021" से अंक, अक्षर और शब्द "31 मई 2021" के स्थान पर अंक अक्षर और शब्द "31 अगस्त 2021" रख दिये जायेंगे। नियम 26 का संशोधन

(दो) नियम 36 के, उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि ऐसी शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और यथास्थिति, जून 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”;

(तीन) नियम 59 के, उपनियम (2) में, पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

“परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, 1 जून, 2021 से 28 जून, 2021 तक प्रस्तुत कर सकता है।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 848/XI-2-21-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(199)-2021, dated September 2, 2021 :

No. 848/XI-2-21-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(199)-2021

Dated Lucknow, September 2, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FIFTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty Second Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of June, 2021.

Amendment of rule 26

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31st day of May, 2021, for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters, and words "31st day of August, 2021" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in form GSTR-3B for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.";

(iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021".

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 311 राजपत्र-2021-(664)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 26 सा० राज्य कर-2021-(665)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।